
 <p>भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS</p>		
<p>धर्म III (विनियम 7 (1) D (d) देखें) Form III (see Regulation 7 (1) D (d))</p>		
<p>भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS</p>		
<p>व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस LICENCE FOR THE OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION</p>		
<p>लाइसेंस सं. अ.श्री.श्री.ओएचएसएस/एल-8000675 Licence No. CRO/OHSMS/L-8000675</p>		
<p>भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अधीन पर, ब्यूरो By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 1986 (63 of 1986), the Bureau hereby grants/renews to</p>		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>सेन्द्रल पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, 'परीवेश भवन', ईस्ट अर्जुन नगर दिल्ली - 110 032</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> <p>Central Pollution Control Board, 'Parivesh Bhawan', East Arjun Nagar, Delhi - 110 032</p> </td> </tr> </table>	<p>सेन्द्रल पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, 'परीवेश भवन', ईस्ट अर्जुन नगर दिल्ली - 110 032</p>	<p>Central Pollution Control Board, 'Parivesh Bhawan', East Arjun Nagar, Delhi - 110 032</p>
<p>सेन्द्रल पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, 'परीवेश भवन', ईस्ट अर्जुन नगर दिल्ली - 110 032</p>	<p>Central Pollution Control Board, 'Parivesh Bhawan', East Arjun Nagar, Delhi - 110 032</p>	
<p>को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ जारी अनुसूची में विशेष रूप से उल्लिखित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रियाओं के संबंध में ब्यूरो के व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (री) में उसी संख्या से सूची बंद होने का अधिकार और लाइसेंस प्रद्वान/नवीकरण करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रिया लाइसेंसधारी द्वारा, IS 18001:2007 के अनुरूप व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल उभर बाजार में पते (पते) पर निर्मित/प्रदान/प्रदायित किए जाएंगे।</p>		
<p>(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Occupational Health & Safety Management Systems Certification in respect of the products and/or services of process particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (as) given above, and under the Occupational Health & Safety Management Systems Certification in accordance with</p>		
<p>IS 18001:2007</p>		
<p>2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबंध प्रारंभिक के अंतर्गत स्वीकृत नवीकरण किया गया है और लाइसेंसधारी एलएड द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वाचन देता है। The licence is granted/renewed subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.</p>		
<p>यह लाइसेंस 11 दिसम्बर 2014 से 10 दिसम्बर 2017 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकता है। This licence shall be valid from 11 December 2014 to 10 December 2017 and may be renewed as prescribed in the Regulations.</p>		
<p>2015 के जनवरी माह के बीसवें दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित Signed, Sealed and dated this Twentieth day of January 2015</p>		
<p> भारतीय मानक ब्यूरो के लिए for BUREAU OF INDIAN STANDARDS</p>		

The Bureau of Indian Standards, New Delhi, has granted License for Occupational Health and Safety Management System Certification as per IS 18001:2007 for a period of 3 (Three) years with effect from December 11, 2014 to December 10, 2017. The scope of the License is as under:

“All activities carried out for testing of Environmental Samples in Air Laboratory, Bio-Science Laboratory, Instrumentation Laboratory, Trace Organic Laboratory and Water Laboratory including support services of Building Division at Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032”

It is also informed that the CPCB's Laboratory at Head Office is the first Environmental Laboratory in the country that has been granted IS 18001:2007 by BIS.



NABL

National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories

(An Autonomous Body under Department of Science & Technology, Govt. of India)

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD, CENTRAL LABORATORY

has been assessed and accredited in accordance with the standard

ISO/IEC 17025:2005

"General Requirements for the Competence of Testing & Calibration Laboratories"

for its facilities at

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi

in the discipline of
CHEMICAL TESTING

(To see the scope of accreditation of this laboratory, you may also visit NABL website www.nabl-india.org)

Certificate Number T-0643

Issue Date 15/09/2014



Valid Until 14/09/2016

This certificate remains valid for the Scope of Accreditation as specified in the annexure subject to continued satisfactory compliance to the above standard & the additional requirements of NABL.

Signed for and on behalf of NABL

N. Venkateswaran
Program Manager

Anil Relia
Director

Prof. K. VijayRaghavan
Chairman



रा.प्र.प्र.बो.

राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी निकाय)

प्रत्यायन प्रमाण-पत्र

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रयोगशाला

का मूल्यांकन और प्रत्यायन निम्न मानक के अनुसार

आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 17025:2005

“परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशालाओं की सक्षमता की सामान्य अपेक्षाएँ”

दिल्ली

में स्थित इसकी सुविधाओं के लिए

रासायनिक परीक्षण

के विषय क्षेत्र में किया गया।

(इस प्रयोगशाला के प्रत्यायन के विषय क्षेत्र की जानकारी एन ए बी एल वेबसाइट www.nabl-india.org से भी प्राप्त कर सकते हैं)

प्रमाण-पत्र संख्या प -0643

जारी करने की तिथि 15/09/2014



वैधता की तिथि 14/09/2016

यह प्रमाण-पत्र उपर्युक्त मानक तथा राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की अतिरिक्त अपेक्षाओं का निरंतर संतोषप्रद अनुपालन किए जाने पर अनुबंध में निर्दिष्टानुसार प्रत्यायन के क्षेत्र के लिए वैध रहेगा।

रा.प्र.प्र.बो. की ओर से हस्ताक्षरित

एन. वेंकटेश्वरन

एन वेंकटेश्वरन
कार्यक्रम प्रबन्धक

अनिल रेलिया

अनिल रेलिया
निदेशक

के. विजयराघवन

प्रो. के. विजयराघवन
अध्यक्ष



NABL

National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories

(An Autonomous Body under Department of Science & Technology, Govt. of India)

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD, CENTRAL LABORATORY

has been assessed and accredited in accordance with the standard

ISO/IEC 17025:2005

"General Requirements for the Competence of Testing & Calibration Laboratories"

for its facilities at

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi

in the discipline of

BIOLOGICAL TESTING

(To see the scope of accreditation of this laboratory, you may also visit NABL website www.nabl-india.org)

Certificate Number T-0644

Issue Date 15/09/2014



Valid Until 14/09/2016

This certificate remains valid for the Scope of Accreditation as specified in the annexure subject to continued satisfactory compliance to the above standard & the additional requirements of NABL.

Signed for and on behalf of NABL

N. Venkateswaran
Program Manager

Anil Relia
Director

Prof. K. VijayRaghavan
Chairman



रा.प्र.प्र.बो.

राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी निकाय)

प्रत्यायन प्रमाण-पत्र

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रयोगशाला

का मूल्यांकन और प्रत्यायन निम्न मानक के अनुसार

आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 17025:2005

“परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशालाओं की सक्षमता की सामान्य अपेक्षाएँ”

दिल्ली

में स्थित इसकी सुविधाओं के लिए

जैविक परीक्षण

के विषय क्षेत्र में किया गया।

(इस प्रयोगशाला के प्रत्यायन के विषय क्षेत्र की जानकारी एन ए बी एल वेबसाइट www.nabl-india.org से भी प्राप्त कर सकते हैं)

प्रमाण-पत्र संख्या प -0644

जारी करने की तिथि 15/09/2014



वैधता की तिथि 14/09/2016

यह प्रमाण-पत्र उपर्युक्त मानक तथा राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की अतिरिक्त अपेक्षाओं का निरंतर संतोषप्रद अनुपालन किए जाने पर अनुबंध में निर्दिष्टानुसार प्रत्यायन के क्षेत्र के लिए वैध रहेगा।

रा.प्र.प्र.बो. की ओर से हस्ताक्षरित

एन. वेंकटेश्वरन

एन वेंकटेश्वरन
कार्यक्रम प्रबन्धक

अनिल रेलिया

अनिल रेलिया
निदेशक

के. विजयराघवन

प्रो. के. विजयराघवन
अध्यक्ष